

**मांग संख्या 39**  
**मुख्य शीर्ष 2408**

**मद क्रमांक 1**

जिला कार्यालय के लिये वेतन भत्ते हेतु राशि रूपये 52.52 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 52,52,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 2**

मुख्य कार्यालय के लिये वेतन भत्ते हेतु राशि रूपये 10.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 3**

नागरिक आपूर्ति निगम को खाद्यान्न उपार्जन में हुई हानि की प्रतिपूर्ति हेतु राशि रूपये 358.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 3,58,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 4**

समर्थन मूल्य के अंतर्गत किसानों को बोनस प्रदान किये जाने हेतु राशि रूपये 18800.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 1,88,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 5**

रियायती दर पर आयोडाईज्ड नमक वितरण हेतु राशि रूपये 1366.50 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है । यह राशि अन्य मद से समर्पित कर लायी जावेगी ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 13,66,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मुख्य शीर्ष 3475**

**मद क्रमांक 6**

मुख्यालय एवं संभागीय कार्यालय के लिये वेतन भत्ते हेतु राशि रूपये 23.60 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 23,60,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।